



डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : आर०/९७/२०२१

दिनांक : २०/०५/२०२१

सेवा में,

समस्त महाविद्यालय,  
डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय,  
आगरा।


विषय:-कोविड-१९ महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सलंगन पत्र संख्या :- १११४/सत्तर-३-२०२१ दिनांक २०.०५.२०२१ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वर्तमान में प्रदेश स्थित कतिपय ऐसी निजी संस्थाएं जिनके द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु उन संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया।


अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि जिन शिक्षकों व कार्मिकों को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

सलंगन : यथोपरि।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. सहायक कुलसचिव, कुलपति सचिवालय को मा० कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
२. एजेन्सी २०२०-२१ समस्त महाविद्यालयों की लॉग इन आई डी पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
३. गार्ड फाइल।

  
कुलसचिव

प्रेषक,

अब्दुल समद  
विशेष सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,  
उच्च शिक्षा,  
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।  
3-समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

2-कुलसचिव  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ :दिनांक 20 मई, 2021

विषय:-कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों/कार्मिकों का वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के आदेश संख्या-1109/सत्तर-3-2021 दिनांक 19 मई, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में शिक्षकों/कार्मिकों को वेतन भुगतान समय से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में आया है कि वर्तमान में प्रदेश स्थित कतिपय ऐसी निजी संस्थाएं जिनके द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु उन संस्थाओं द्वारा शिक्षकों व अन्य स्टाफ को वेतन का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश स्थित जिन निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा छात्रों से पूरा शुल्क लिया गया है, परन्तु अभी तक शिक्षकों व अन्य स्टाफ को पूर्ण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, प्राथमिकता के आधार पर तत्काल वेतन भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

( अब्दुल समद )  
विशेष सचिव।

संख्या-1114 (1)/सत्तर-3-2021, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2-कुलपति समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
- 5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( अब्दुल समद )  
विशेष सचिव।